आयन्दा दिनांक 17-7-24 को प्रस्तुत हो।

अपर उप जिलाधिकारी
मुण्डापार (कोरथना-सिजारा)

17-7-24: पत्रावलि प्रस्तुत हुई। प्रकरण में विगत तारीख पेशी पर प्रा०प० अन्तर्गत धारा-11 व 15 सि०प्र०सं० पर बहस सुनी गयी थी।

प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र धारा-11 व अपठित धारा 151 आ०दी० इस प्रकार का प्रस्तुत किया है कि - वादीगण खगेन्द्र कौ० द्वारा भिन प्रतिवादीगण के पिता के खिलाफ अदालत श्रीमान में एक वाद बउनुवान मुकेश कुमार को बनाम दुर्गाप्रसाद कौ. मु.नं. 34/2004 पेश किया था, जो वाद अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 15/8/2006 को डिक्री फरमा दिया गया था, नकल आर्डर शीट संलग्न है - यह है कि अदालत श्रीमान द्वारा डिक्री किये जाने के बाद वादीगण द्वारा अदालत श्रीमान के

क्रमश..

अपर उप जिलाधिकारी
मुण्डापार (कोरथना-सिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रवीन्द्र बनाम दुर्गाप्रसाद	नम्बर व जो इस
	निर्णय की अपील न्यू मुख्य अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष एवं अपील स. 218/2006 पेश की गई तथा मिन प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के पिता द्वारा अपील स. 205/2006 पेश की गयी, जो दोनो ही अपील को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11/5/2017 को खारिज फरमाया जाकर मातहत अदालत के निर्णय को यथावत रखा गया। - यह है कि वादीगण रवीन्द्र वगै. द्वारा पूर्व पेश वाद में वर्णित आराजीयात व पक्षकारान के खिलाफ पुनः उक्त वाद बउनवान रवीन्द्र व. आदि बनाम दुर्गाप्रसाद को. सं. नं. 293/2019 अदालत श्रीमान के समक्ष तथ्यों को छिपाकर पेश कर दिया गया है। इसलिए एक ही पक्षकार व एक ही जायदाद बाबत पुनः वाद पेश नहीं किया जा सकता है तथा वादीगण का वाद एक ही पक्षकारान व आराजीयात बाबत होने के कारण रेसजुडीकेटा की श्रेणी में आता है जो वाद चलने योग्य नहीं होकर काबिल खारिज है। अतः प्रार्थनापत्र मिन प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी / वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थी (वादी) ने प्रा. प. के पैरा सं. 1 लगा. 3 को स्वीकार किया है पैरा सं. 4 के बाबत जवाब प्रस्तुत किया है कि पैरा सं. 4 गलत है स्वीकार - क्रमशः..	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी-मुण्डावर
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
रवीन्द्र बनाम दुर्गाप्रसाद

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है। वादी ने किसी भी प्रकार के तथ्यों को नहीं छिपाया है चूंकि डिक्री दिनांक 15/7/2006 को जारी की गयी थी जिसकी पालना किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं करायी गयी जब वादी ने वाद पेश किया तब तक डिक्री मियाद बाहर हो चुकी थी जिसकी पालना नहीं करायी जा सकती। इसलिए नया वाद लाना लाजिमी आया है।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने वाद में पक्षकार नहीं है प्रा.प. धारा-11 पेश किया है जो बिना पक्षकार बनाये पेश नहीं किया जा सकता इसलिए न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि पूर्व वाद में डिक्री के उपरान्त निरन्तरता में 12 वर्ष नहीं हुए है इससे पूर्व ही प्रकरण अपील में प्रक्रियाधीन हो गया तथा अपील का निर्णय 2017 में हुआ इस प्रकार 12 वर्ष की अवधि लागू नहीं होती है एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों/कथनों का दोहराव किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनों का दोहराव किया। दौरान बहस दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में वाद का निर्णित होना, अपील होना तथा अपील में खारिज होने के तथ्यों को स्वीकार किया गया।

इस प्रकार पत्रावलि के अवलोकन तथा

क्रमशः...

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर रवीन्द्र बनाम दुर्गाप्रसाद	
	बहस पर मनन के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद में वर्णित आराजी समान है तथा पक्षकारान में केवल एक पक्षकार (पूर्व वाद के) के फौत उपरान्त उसके वारीसान पक्षकारान है इस प्रकार पक्षकारान भी समान ही है। मृतक प्रतिवादीगण के वारीसान वो कि प्रार्थीगण है को दावे मे पक्षकार संयोजित किया जा चुका है इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विचारण योग्य प्रकृति में है। पूर्व वाद राज. काश्त. अधि. की धारा 53 एवं 188 (अर्थात बँटवारे) से संबंधित था जिसका निर्णय होकर डिक्री 15/9/06 को जारी की जा चुकी थी। इसके विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष संस्थित होकर दिनांक 11/7/2017 को खारिज़ में निर्णित हुई है। इस प्रकार पूर्व निर्णय दिनांक 15/9/2006 से डिक्री की पालना के समय 12 वर्ष की निरन्तरता को यहाँ इसलिए माना जाना उचित नही है क्योंकि निर्णय के विरुद्ध उसी वर्ष 2006 में अपील होकर प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन रहे और इस अपील का निर्णय वर्ष 2017 में हुआ। इस प्रकार पूर्व निर्णित वाद व पत्रावलि से संबंधित वाद समान प्रकृति का है, पक्षकारान भी समान ही है (केवल मृतक पक्षकार के वारीसान को रिकॉर्ड पर लिया गया है) क्रमशः...	

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

धर्मेन्द्र बनाम दुर्गाप्रसाद

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-11 सपठित 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के दायरे में आया जाना पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा धारा-11 बाबत सिविल नजीरें आर.आर.डी. 2019(2) पेज 1321-1324; आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1087-1101; आर.आर.टी. 2010 पेज 638-647 भी इस बाबत प्रस्तुत की है।	
अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-11 सपठित धारा 151 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादी इसी स्तर पर मय हर्जा-खर्चा खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 12/7/2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावलि बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	
12/7/24 (योगेश उपखण्ड अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी - मुण्डावर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)	